निर्णय वइजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर ए एस
उपखंड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या:- **68/2016**
दायरा दिनांक:- **02.06.2016**
निर्णय दिनांक:- **31.03.2022**

उनवान

श्रीमती सोभर बाई पत्नी श्री कल्याण प्रसाद जाती बैरवा निवासी कुंज विहार कॉलोनी बारां

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बारां
2. चंदाबाई पत्नी नरोत्तम जाति रेगर निवासी खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा

वाद पत्र धारा 188 आर टी एक्ट
निर्णय दिनांक:- 31.03.2022

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा **188** आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादनी ने शांति देवी पुत्री काशीराम जाति काश्त निवासी रारोती से उसके कब्जे काश्त व खाते की आराजी खसरा नंबर **657** रकबा **1.12** हेक्टेयर ग्राम रारोति तहसील बारा को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक **15-5-2019** को खरीद की थी तथा विक्रेता शांति बाई ने जिस भूमि पर काश्त कर रखी थी वह मौके पर जाकर वादनी को कब्जा व दखल दे दिया था तभी से वादिनी उपरोक्त आराजी पर शांतिपूर्वक कबजा काश्त करती चली आ रही है प्रति वादिनी नंबर **2** को भी पूर्व से जमीन आवंटित हुई थी उस समय खसरा नंबर **657** में प्रतिवादिनी को भी आवंटन हुआ था लेकिन प्रतिभा दिनी नंबर **2** ने आज तक कभी कोई खास नहीं की वादनी से पूर्व खातेदार शांति देवी को तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा खसरा नंबर **657** के जिस हिस्से पर दखल [illegible] दिया गया था उसी हिस्से पर वादिनी आज भी काबिज है लेकिन खसरा **657** में बटा नंबर डाला गया वह खसरा नंबर **828/657** डालकर उस हिस्से पर चंदाबाई का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया है जबकि खसरा नंबर **657** पर आवंटन दिनांक से ही वादनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

से पूर्व शांति देवी व खरीद दिनांक से वादिनी का विकास है उक्त आराजी को वादिनी ने काफी मेहनत व पैसा खर्च करके कृषि योग्य बनाया है प्रतिवादी नंबर दो दिनांक 30 मार्च 2016 को जबरन वादनी के कब्जे काश्त कि आराजीयात खसरा नंबर 828/657 पर कब्जा करने का प्रयास किया जिसे बमुश्किल रोका गया फिर भी प्रतिवादी क्रम दो ने धमकी दी है कि वह लट्ठ व ताकत के जोर से वादनी के कब्जे काश्त व खाते की आराजी पर कब्जा करके ही रहेगी इस कारण ही वादनी को बाद कारण दिनांक 30 मार्च 2016 को बमुकाम ग्राम रारोती में उत्पन्न हुआ। वादिनी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादिनी का बाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जरिए सम्मान तलब किया गया प्रतिवादी गण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने बाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम रारोती संवत 2069 से 2072 खाता संख्या 283 नकल जमाबंदी ग्राम रारोती संवत 2069 से बेहतर खाता संख्या 61 पेश की गई नकल विक्रय पत्र दिनांक 15-6-2019 पेश की गई नकल नक्शा ट्रेस संवत 1977 पेश किया गया साक्ष्य वादी में श्रीमती सौसर बाई का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादिया सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाक्य ग्राम रारोती तहसील बारां में स्थित है। प्रतिवादी क्रम दो चंदाबाई वादिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त कि आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहती है वादिया द्वारा विवादित आराजी कांता देवी पुत्री खुशीराम जाति कायस्थ निवासी रारोती से खसरा नंबर 657 की 1. 12 हेक्टेयर भूमि 190000 में क्रय की थी। तथा विक्रेता द्वारा वादिया को उक्त भूमि पर कब्जा दखल दिया गया प्रतिवादी क्रम दो वादिया द्वारा क्रय की गई भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहती है प्रतिवादी क्रम दो को वादिया की भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है प्रतिवादी क्रम 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाए जावे कि वह वादिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें वादिया का वाद स्वीकार किया जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम रारोती संवत 2069 से 2072 खाता संख्या 283 के अनुसार सोसरबाई पत्नी कल्याण प्रसाद जाती बेरवा निवासी कुंज बिहारी कॉलोनी बारां के खातेदारी में दर्द होना पाया जाता है विवादित आराजी खसरा नंबर 657 रकबा 1. 12 हेक्टेयर वादिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में है नकल जमाबंदी ग्राम रावती संवत 2069 से 72 खाता संख्या 61 चंदाबाई पत्नी नरोत्तम जाती रहेगा खसरा नंबर 828/657 रकवा 1.05 हेक्टेयर खातेदारी में दर्ज है नकल विक्रय पत्र दिनांक 15-6-2009 के अनुसार कांता देवी पुत्री खुशीराम द्वारा अपने खाते की आराजी खसरा नंबर 657 रखवा 1.12 हेक्टेयर वादिया सोसरबाई पत्नी कल्याण प्रसाद को रूपये 190000 में बेचान किया जाना पाया जाता है इससे यह साबित होता है कि खसरा नंबर 657 की भूमि वादिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मैं है प्रतिवादिया क्रम दो वादिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहती है जिस पर प्रतिवादी क्रम 2 का कोई अधिकार नहीं है प्रतिवादी क्रम दो को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पावन किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है प्रतिवादी क्रम दो को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादिया के खातेदारी एवं कब्जे काशत की आराजी वाके ग्राम रारोती तहसील बारां के खसरा नंबर 657 रकवा 1.12 हेक्टेयर पर वादिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखा है जाकर सरे इजलास सुनाए गया

दिव्यांश शर्मा
उपखण्ड अधिकारी
बारां
(आर ए एस)
उपखंड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...य उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

संख्या 68/16	धारा अंतर्गत 188 RTA	निर्णय दिनांक 31.3.22
समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री नरेन्द्र सिंह हाडा	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

श्रीमति सोसर बाई पत्नी श्री कल्याण प्रसाद जाति बैरवा निवासी कुंजबिहार कालोनी बारां

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां
2. चन्दाबाई पत्नी नरोत्तम जाति रेगर निवासी खंडिया तह. सांगोद जिला कोटा

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है प्रतिवादी क्र. 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम रायथली तहसील बारां के ख.नं. 657 रकबा 1.12 हैक्टेयर पर वादिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे।

.... को प्रदान किया जाए।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा ....

उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 31.3.22 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर

उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:13 IST
Reason: SelfAttested

व्यय [illegible]

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		

Scanned with CamScanner